

Continuation Note Sheet

04-7-25

प्रार्थी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। वकील समक्ष उपस्थित। प्रार्थी नकूल शेखावत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) 151 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाद वकील प्रतिवादी द्वारा सहमति जाहिर करने पर प्रार्थी नकूल शेखावत पुत्र जीतसिंह शेखावत को प्रार्थी जीत सिंह शेखावत के स्थान पर प्रार्थी संयोजित किया जाता है एवं जीत सिंह का नाम प्रार्थना पत्र से कलमजन किया जाता है। प्रार्थी नकूल शेखावत का नाम वाद पत्र में वादी के रूप में लाल स्याही से लिखा जावे।

प्रार्थी नकूल द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री सुभाष मिट्टा के मूल वाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रार्थी के निवेदन पर मूल वाद खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के खारिज होने से इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाया दाखिल अभिलेखागार हो।

604